

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 मार्च 2016—चैत्र 4, शक 1938

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. एफ 1-9-2016-स्था-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में शीर्षक तृतीय श्रेणी (तकनीकी कार्यपालिक) में, कॉलम (2) में, पद उपयंत्री (विद्युत एवं यांत्रिकी) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद और उससे संबंधित प्रविष्टियां की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक निर्माण विभाग	उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स).	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन वर्षीय पत्रोपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. सी. भट्ट, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. एफ 1-9-2016-स्था-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-9-2016-स्था.-उन्नीस, दिनांक 24 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. सी. भट्ट, उपसचिव.

Bhopal, the 24th March 2016

No. F-1-9-2016-Estt.-XIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes, the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Works Department (Non Gazetted) Service, Recruitment and Conditions of Service Rules, 1972, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule III, under the heading "Class-III (Technical Executive)", in column (2), for the post Sub-Engineer (E&M) and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Public Works Department	Sub-Engineer (Electrical or Electrical and Electronics).	18 years	40 years	Three years Diploma in Electrical or Electrical and Electronics Engineering from any institution recognized by the State Government	
				or	
				Degree in Electrical or Electrical and Electronics Engineering from any recognized University.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. C. BHATT, Dy. Secy.